



2026:AHC:746

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3236, वर्ष 2025

राकेश कुमार केसरवानी
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : रवीन्द्र कुमार
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रविंद्र कुमार, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री तरुण गौर, और ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।

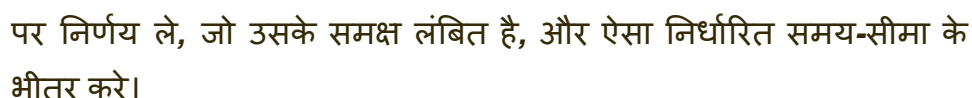
2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह प्रतिवादी संख्या 5 और 6, या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दे कि कौशांबी के शमशाबाद गाँव में स्थित आराजी संख्या 146 (क्षेत्रफल 1.6350 हेक्टेयर) के तालाब पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाए। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है, और इस पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण तथा निर्माण को एक निश्चित/निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। साथ ही, उस नाली को भी फिर से खोला जाए जिसे अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से ढक दिया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी अन्य उपयुक्त आदेश पारित किया जाए; अन्यथा, याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

b. परमादेश की एक रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता के दिनांक 27/09/25 के उस अभ्यावेदन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"1. इस जनहित याचिका में की गई प्रार्थना को देखते हुए, राज्य और ग्राम सभा से निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है।

2. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह और ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय, इस मामले में दो सप्ताह के भीतर आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे।

3. इस मामले को दिनांक **17.11.2025** को नए मामलों की सूची में सूचीबद्ध किया जाए।”

4. दिनांक 30.10.2025 के आदेश के अनुपालन में, उप-विभागीय अधिकारी, सिराथू, कौशांबी द्वारा भेजी गई दिनांक 25.10.2025 के निर्देश को अभिलेख पर लिया गया।

5. श्री तरुण गौर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने, प्राप्त निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत 12 मामले उन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं जो उक्त भूमि पर कब्जे में पाए गए हैं; और यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उपर्युक्त कार्यवाही में निर्धारित अंतिम तिथि 4.11.2025 थी। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त मामलों के निस्तारण के पश्चात, संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे।

6. इसके जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण के लिए, एक समय-सीमा के भीतर, उचित निर्देश जारी किए जाएं।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. इस मामले में निहित विवाद को समझने के लिए, उन मामलों का विवरण—जो यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किए गए हैं—का अवलोकन करना प्रासंगिक होगा; जो इस प्रकार हैं:—

ग्राम—डडैचा परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी स्थित आराजी सं० 146/1.635हे० तालाब भूमि पर किये गये अतिक्रमणकर्ताओं का विवरण।

क्र०सं	आ०सं०	क्ष०	अतिक्रमणकर्ता का नाम व पिता का नाम	बेदखली वाद सं०	नियत तिथि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	146मि०	0.0015हे०	गांव सभा बनाम संदीप कुमार पुत्र सरजू प्रसाद निवासी समसाबाद	टी०-202502420409672	04.11.2025	
2	146मि०	0.0080हे०	गांव सभा बनाम नकुल पुत्र नवल किशोर निवासी समसाबाद	टी०-202502420409673	04.11.2025	
3	146मि०	0.0050हे०	गांव सभा बनाम दिलीप कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी	टी०-202502420409674	04.11.2025	

नी और



9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि भूखंड संख्या 146 के संबंध में यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत 12 मामले दर्ज किए गए हैं, यह जनहित याचिका अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 6—तहसीलदार, सिराथू, कौशांबी—यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उपर्युक्त 12 मामलों का निर्णय, पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, शीघ्रता से करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

05 जनवरी 2026

पीएस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"